मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

ज्ञापन

क्रमांक 567-1-608-एक (3) भोपाल, दिनांक 22 मार्च 1966—चैत्र 1, 1888.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
सर्व आयुक्त,
सर्व विभागाध्यक्ष.

विषय.—विभागीय जांच के मामले में लोक सेवा आयोग की राय लेना.

लोक सेवा आयोग ने शासन को सूचित किया है कि कई विभागीय जांच के मामलों में आयोग को जांच से संबंधित सम्पूर्ण कागजात व्यवस्थित ढंग से नहीं भेजे जाते हैं. अत: आयोग को बारम्बार विभागों से इस सम्बन्ध में पत्र व्यवहार करना पड़ता है, फलस्वरूप ऐसे प्रकरणों में आयोग को राय देने में अनावश्यक विलम्ब होता है. अत: सभी विभागों से निवेदन है कि वे अपनी अधीनस्थ अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दें कि जब कभी कोई विभागीय जांच का मामला आयोग को राय देने के लिये भेजा जाये तो वे इस बात का ध्यान रखे कि जांच संबंधी सभी आवश्यक कागजात व्यवस्थित ढंग से, जैसा कि इस विभाग के पूर्व ज्ञापन क्रमांक 1436-976-एक (3) 64, दिनांक 12 अगस्त 1964 तथा ज्ञापन क्र. 2343-2540-एक (3)-64, दिनांक 11-12-64 में बताया गया है, एकत्रित कर आयोग को भेजें.

हस्ता./-
(मो. ला. चोपड़ा)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.